S62

CENTRE for e-GOVERNANCE U.P.
1st Floor, UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
सेण्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश (उ.प्र. सरकार की समिति)
प्रथम तल, अपट्रॉन बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ –226010

संख्याःसीईजी/16/34/15/I/569/16
दिनांकः26.09.2016

जारी 26-9-16

सेवा में,
जिलाधिकारी महोदय / अध्यक्ष डी.ई.जी.एस. सोसाइटी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

विषयः शहरी जन सेवा केन्द्रों की प्रगति एवं सेवाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जन सेवा केन्द्र की प्रगति एवं सेवाओं के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25.07.2016 को डी.एस.पी. संस्थाओं एवं सी.ई.जी. प्रतिनिधियों के मध्य एक बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में जनपद स्तर पर जन सेवा केन्द्र लगाये जाने की प्रगति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए ग्रामीण एवं शहरी जन सेवा केन्द्रों की स्थापना के लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त किये जाने हेतु डी.एस.पी. संस्थाओं को निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त डी.एस.पी. संस्थाओं एवं डी.ई.जी.एस. स्तर पर की जा रही कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश दिये गए जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

1. निर्देशित किया गया कि यद्यपि शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम जन सेवा केन्द्रों की संख्या डी.ई.जी.एस. सोसाइटी के द्वारा ही निर्धारित किया जाना है फिर भी योजना के ससमय क्रियान्वित करने के लिए शहरी जन सेवा केन्द्रों के खोले जाने हेतु डी.ई.जी.एस. से अनुमति प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नही है। डी.एस.पी. संस्थायें अपनी जनपदवार साप्ताहिक रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट ई–गवर्नेन्स सोसाइटी (डी.ई.जी.एस.) के साथ–साथ सी.ई.जी. को भी आवश्यक रूप से ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. ऐसे जनपद जहां पर जन सेवा केन्द्रों के लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित प्रगति नही हो पायी है, वे जनपद अपने स्तर से डी.एस.पी. संस्थाओं पर अनुबन्ध की शर्तानुसार कार्यवाही करते हुए सी.ई.जी. को अवगत करायें।
3. यद्यपि बी2सी सेवायें लेने अथवा नही लेने की बाध्यता जन सेवा केन्द्र पर नही है। तथापि जन सेवा केन्द्र संचालकों को इस हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,
(अजयदीप सिंह)
राज्य समन्वयक

O/C

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. हेड, एस.ई.एम.टी., उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स (ई.डी.एम.), उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. गार्ड फाइल।